संख्या-34/2019/349/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी 2019

विषय:- **मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 लोकायुक्त द्वारा निर्देशित/विचाराधीन व अन्य विभिन्न प्रकरणों में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3589/स0क0/शिक्षा-अ/04/1029/2018-19, दिनांक-23.01.2019, पत्रांक-3488/स0क0/शिक्षा-अ/02/265/2018-19, दिनांक-16.01.2019, पत्रांक-3461/स0क0/शिक्षा-अ/01/106/2018-19, दिनांक-14.01.2019, पत्रांक-3448 /स0क0/शिक्षा-अ/02/30/लो0आ0/2018-19, दिनांक-14.01.2019, पत्रांक-3004/स0क0/शिक्षा -अ/कोड-2/137/2018-19, दिनांक-06.12.2018, पत्रांक-3428/स0क0/शिक्षा-अ/02/ 2018-19, दिनांक-10.01.2019, पत्रांक-3139/स0क0/शिक्षा-अ/02/179/2018-19, दिनांक-1912.2018, पत्रांक -3181/स0क0/शिक्षा-अ/02/179/2018-19, दिनांक-19.12.2018 एवं पत्रांक-3672/स0क0/ शिक्षा-अ/कोड-2/ सा0 पत्रा0 /2018-19, दिनांक-31.01.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित प्रस्तावानुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 की देयता के भुगतान की अनुमति शासनादेश संख्या-163/2018/2474/26-3-2018 दिनांक 25-07-2018 एवं शासनादेश संख्या-208/2018/3384/26-3-2018, दिनांक-10.10.2018 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**धनराशि लाख में**

| **क्रम सं0** | **रिट याचिका से सम्बन्धित प्रकरण/अन्य संदर्भ** | **देयता का संक्षिप्त विवरण** | **वांछित धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | रिट याचिका संख्या-22006/एम0एस0/2018 महादेव इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बागपत बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या-22304/एम0एस0/2018आर0आई0ई0टी0 विद्यापीठ, मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत याची संस्था की वर्ष 2015-16 के 59 छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में। | याची संस्था की वर्ष 2015-16 के 59 छात्रों की छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 33.41720 |
| 2 | रिट याचिका संख्या-22143/2017 विपिन कुमार व 48 अन्य, रिट याचिका संख्या- 22139/2017 अभिषेक कुमार व 33 अन्य एवं रिट याचिका संख्या-22144/2017 अजय कुमार व 21 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में। | 03 याची संस्थायें क्रमशः आगरा पब्लिक कालेज आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, आगरा, आगरा पब्लिक इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड कम्प्यूटर एजूकेशन एवं आगरा पब्लिक टीचर टेªनिंग कालेज के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के सम्बन्ध में। | 61.26960 |
| 3 | रिट याचिका संख्या-49758/2016 ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आॅफ एजूकेशन, गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक-22.11.2016 एवं अवमानना याचिका संख्या-1902/ 2017 में पारित आदेश दिनांक-01.05.2017 व 22.05.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में | 1175 अनुसूचित जाति छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता की देयता के सम्बन्ध में। | 414.09600 |
| 4 | मा0 लोकायुक्त, उ0प्र0 लखनऊ में विचाराधीन श्री होती लाल, जनपद फिरोजाबाद की पुत्री संध्या गौतम की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध मे | श्री होती लाल, जनपद फिरोजाबाद की पुत्री कु0 संध्या गौतम की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 0.64025 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | रिट याचिका संख्या-28075/2016 आसलर बिजनेश स्कूल, मथुरा बनाम, उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-28.11.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में। | वर्श 2015-16 के 07 छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 0.46200 |
| 6 | अनुसूचित जाति छात्र श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री साहब सिंह, एम0एड0 छात्र चेतराम शर्मा कालेज आफ एजूकेशन, नोएडा, गौतमबुद्धनगर की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में। | अनुसूचित जाति छात्र श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री साहब सिंह, एम0एड0 छात्र चेतराम शर्मा कालेज आफ एजूकेशन, नोएडा, गौतमबुद्धनगर की वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 0.42660 |
| 7 | रिट याचिका संख्या-2796/2017 शान्ति निकेतन इंन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बिजनौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-06.03.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में। | 38 छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 18.87156 |
| 8 | रिट याचिका संख्या-2968/2017 श्री राम इंन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, बिजनौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-06.03.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में। | 38 छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 15.39617 |
| 9 | अनन्या भारती, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विष्वविद्यालय, लखनऊ का वर्श 2015-16 की छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में। | 2015-16 की छात्रवृत्ति/षुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में। | 1.20400 |
| | | **कु0 योग** | **545.78338** |

**(रू0-पांच करोड़ पैतालीस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस मात्र)**

भवदीय

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

पृ.संख्या-34/2019/349(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।